अति-तत्काल/महत्वपूर्ण

फाइल संख्या-ई-11012/12/2020-हिंदी/327

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66
दिनांक: 04 जनवरी, 2021

परिपत्र

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम 'पारंगत' के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि संस्थान द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ के साथ-साथ **पारंगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 04.01.2021 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण की अवधि 2 महीने एकांतर दिवस-2 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा होगी।

केंद्र सरकार के **हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक** यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/68/2008-रा.भा.(प्रशि.)(प्रति संलग्न) के अनुसार पारंगत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

सभी नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण के लिए अधिकाधिक कार्मिकों को नामित करें ताकि वे हिंदी में काम करने में पूर्णत: सक्षम हो पाएं और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। नामांकन प्रोफार्मा संलग्न है।

04/01/2021

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (रा.भा.)

केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।

<u>नामांकन प्रपत्र</u>

क्र. सं.	नामित अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या
01							

स्थान :
दिनांक

हस्ताक्षर :____________________

नामित करने वाले अधिकारी: ____________________

(मोहर सहित): ____________________

अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित: ____________________

ई-मेल: ____________________

सं.21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय -वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई:समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

21/12/20

(आनंद कुमार)

निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

......जारी

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
5. निदेशक(तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
6. अवर सचिव (ई.कार्ड), ई.समन्वय अनुभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 17.12.2020 की अं.वि.ति.सं.14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के संदर्भ में ।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां ।